न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 25 / 2023 (अपील)

उनवान

1. मधु सुमन पत्नि स्व0 श्री नारायणलाल आयु 43 वर्ष जाति माली
2. मोनू सुमन पुत्र स्व0 श्री नारायणलाल आयु 23 वर्ष
3. सोनू सुमन पुत्र स्व0 श्री नारायणलाल आयु 20 वर्ष जर्ये वली माता मधु सुमन,
4. विशाखा पुत्री स्व0 श्री नारायणलाल आयु 10 वर्ष जर्ये वली माता मधु सुमन पत्नि स्व0 श्री नारायणलाल जाति माली निवासीगण बस स्टैण्ड के पास ग्राम पीपल्दा कलां तहसील पीपल्दा जिला कोटा

5 .सन्तोष पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ आयु 45 वर्ष जाति माली निवासी पीपल्दाकंला जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री जितेन्द्र चौरसिया (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी इन्तकाल नम्बर 878 दिनांक 12.10.2022 तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 18.07.2024

1. अपीलाण्ट्स की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 878 दिनांक 12.10.2022 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत पेश की गई

2. . अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर पेरोकार सरकार उपस्थित हुऐ। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है कि अपीलन्ट्स कम 1 के ससुर तथा 2 लगायत 4 के दादाजी एवं अपीलाण्ट क्रम 5 के पिता श्री जगन्नाथजी आत्मज श्री धुल्या जी उर्फ धुलीलाल जाति माली निवासी पीपल्दा के द्वारा चम्बल परियोजना सरकारी भूमि आवंटन तथा अधिनियम 10 के अन्तर्गत भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया गया था जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा मि0स0 535 दिनांक 23.12.1975 के द्वारा ग्राम पीपल्दाकला के ख0न0 111 की सिवायचक भूमि

अति. जिला कलक्टर
कोटा

में से 15 बीघा पडत भूमि का आवंटन किया गया जिसका आवंटन आदेश दिनांक 23.12.1975 को जगन्नाथ आत्मज धुल्या उर्फ धुलीलाल के पक्ष में आवंटन प्राधिकारी द्वारा .जारी किया गया, तथा उसके पश्चात ग्राम पीपल्दाकलां की भूमि ख0न0 111/769 की 15 बीघा भूमि को इंतकाल सं0 283 से जगन्नाथ की गैर खातेदारी में दर्ज किया गया, तथा जगन्नाथ को उक्त भूमि पर दिनांक 24.02.1977 को मौके पर कब्जा संभलाया जाकर दखलनामा जारी किया गया तथा जगन्नाथ द्वारा आवंटन के प्रतिफल स्वरूप सम्पूर्ण राशि दिनांक 28.02.1997 को जमा कराने के पश्चात उक्त भूमि को इंतकाल संख्या 389 दिनांक 05.06.1986 से जगन्नाथ की खातेदारी में ख0न0 111/769 की 15 बीघा भूमि दर्ज की गई। जगन्नाथ की मृत्यु दिनांक 10.12.2010 को हो चुकी है। उपरोक्त वर्णित ख0न0 111/769 की 15 बीघा भूमि पर स्व0 जगन्नाथ जी अपने जीवन पर्यन्त काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। सेटलमेन्ट के पश्चात ख0न0 111 मी0 की कृषि भूमि के नये ख0न0 334 की रकबा 8.99 है0 कायम किये गये परन्तु सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा त्रुटिवश ख0न0 334 की सम्पूर्ण भूमि को सिवाचक्र खाता सरकार दर्ज कर दिया तथा उक्त भूमि में से 4.78 है0 भूमि को जिला कलेक्टर कोटा के आदेश दिनांक 05.08.2022 की पालना में राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के आदेश दिये गये। तथा उक्त आदेश की पालना में इंतकाल सं0 878 दिनांक 12.10.2022 दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान ख0न0 111 के नये ख0न0 334 कायम करते हुये प्रार्थी को आवंटित ख0न0 111/769 की 15 बीघा भूमि को भी ख0न0 334 में शामिल करते हुये सम्पूर्ण भूमि को सिवायचक्र दर्ज कर दिया।जबकि तहसीलदार पीपल्दा द्वारा ख0न0 111/769 एवं उसके आस पास के ख0न0 का नजरी नक्शा दिनांक 18.10.1986 को जारी कर रखा है, जिसकी तरमीम भी स्पष्ट रूप से अंकित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर खोला गया इन्तकाल सं0 878 दिनांक 12.10.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त यह पाते है कि नामांतरकरण नं0 878 दिनांक 12.10.2022 वाके ग्राम पीपल्दाकलां तहसीलदार पीपल्दा नें श्रीमान् जिला कलेक्टर के पत्र क्रमांक प02 (8)राजस्व–11/2022/6898 दिनांक 05.08.2022 की पालना में स्वीकृत किया। भूमि सिवायचक्र सरकार से राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई है।सेटलमेन्ट विभाग द्वारा यदि किसी प्रकार का कोई इन्द्राज किया है,जिसमे अपीलाण्ट का हितबद्ध हो तो इस हेतु एल0आर0एक्ट 136 के तहत सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई अनुतोष देय नहीं होने से अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

5 निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा